वित्तीय स्वीकृति

संख्या- 9/2021/1556/52-2-2021-02(3)/18

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 17 नवम्बर, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में वसीका कार्यालयए लखनऊ के आय-व्ययक में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-760/अ0सं0क0नि0-52/लेखा/बजट-प्रावि0/2021-2022 दिनांक 06-07-2021 एवं पत्र संख्या-1590/अ0सं0क0नि0-52/लेखा/बजट-प्रावि0/2021-2022 दिनांक 27-08-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 में वसीका अधिकारीए लखनऊ के आय-व्ययक मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0-01.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. लेखाशीर्षक-2075 विविध सामान्य सेवाए-800-अन्य व्यय -03 वसीका कार्यालय लखनऊ-01-वेतन मद में प्राविधानित धनराशि रू0-46.67 लाख के सापेक्ष सम्भावित बचतों से वसीका अधिकारी, लखनऊ को लेखाशीर्षक 2075-विविध सामान्य सेवायें-800-अन्य व्यय-04-अवध वसीका पेंशन-33-पेंशन/अनुतोषिक के आय-व्ययक में रू0-01.00 लाख (रू0 एक लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन पुनर्विनियोग कर स्वीकृत किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)- कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2)- किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

(3)- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण माह मार्च, 2022 की समाप्ति पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4)- धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3. उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक के लेखाशीर्षक-2075 विविध सामान्य सेवाए-800-अन्य व्यय -03 वसीका कार्यालय लखनऊ-01-वेतन में बचत धनराशि को लेखाशीर्षक 2075-

http://shasanadesh.up.gov.in

विविध सामान्य सेवायें-800-अन्य व्यय-04-अवध वसीका पेंशन-33-पेंशन/अनुतोषिक के नामे डाला जायेगा, से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-आर0ई0सं0-ई-4-1698-दस-2021-2022 दिनांक 22.10.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-1556(1)/52-2-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वसीकाधिकारी, वसीका कार्यालय, हुसैनाबाद, उ0प्र0, लखनऊ।
6. वित्त(ई-4) अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1(02 प्रतियों में)/नियोजन अनुभाग-3/संबंधित बजट सहायक/गार्ड फाइल।
7. अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in